



सेंट्रल चीन और तिब्बत के बीच वैस्टर्न शिचुआन प्रांत में सैंकड़ों रहस्यमय स्टोन टावर्स हैं, इनमें से कुछ तो 200 फीट तक ऊँचे हैं। हिमालय की लतलहटी में ऐसे टावर बड़ी तादाद में हैं और गांवों के समीप ज्यादा देखे जाते हैं, जहां अब याक और टट्टुओं के अस्तबल के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। ये सदियों से यहाँ हैं, पर इनके निर्माण का उद्गम और उद्देश्य दोनों ही हमेशा से रहस्यमय रहा हैं, स्थानीय लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाहरी दुनिया को टावर के बारे में सबसे पहले फ्रांस की खोजी यात्री फ्रेडरीक डरार्गॉन ने बताया था। वह 1998 में स्नो लैंपर्ड की खोज में तिब्बत गयी थी, लेकिन उसका ध्यान खींचा इन रहस्यमय इमारतों ने। अगले 5 साल तक उसने इन मीनारों की गणना और नाप जोख की, तस्वीरें लीं और टावर पर चढ़कर इसकी बीम की लकड़ी के सैम्पल लिए। लेकिन, किसी को भी पता नहीं था कि टावर्स किसने और क्यों बनाए थे। तथापि, उन्नीसवीं सदी में चीन आए यूरोपीय यात्रियों की डायरियों कुछ चीनी आख्यानों में उसे इन टावर्स का कुछ उल्लेख अवश्य मिला। डरार्गॉन का मानना है कि, टावर्स के उद्गम के बारे में स्थानीय जानकारी के अभाव का कारण क्षेत्र का इतिहास और भूगोल हो सकता है। जिस क्षेत्र में ये टावर हैं वहाँ कई पहाड़ी जनजातियाँ रहती हैं जिन्होंने सदियों से अपने आप को "आइसोलेशन" में रखा है। इनकी बोली, रीति रिवाज, रहन-सहन, हर तरह से एक दूसरे से बहुत अलग हैं। डरार्गॉन की डॉक्यूमेंटरी, "सीक्रेट टावर्स ऑफ हिमालय" के अनुसार "एक घाटी से दूसरी घाटी के लोग एक दूसरे से बिचलूक बात नहीं कर पाते।" डरार्गॉन का मानना है कि, टावर्स का इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से बताया गया होगा, लेकिन अब लोग इन्हें भूल गए हैं। टावर की लकड़ी की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 600 से 1000 साल पुराने हैं। डरार्गॉन का मानना है कि, टावर्स की डिजाइन की भिन्नता को देखते हुए लगता है कि, अलग-अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए होता होगा। उदाहरण के लिए मिनिआक क्षेत्र में टावर निगरानी के लिए काम आते होंगे। कान्पो और डम्बा के टावर समुद्धि और गौरव का प्रतीक लगते हैं। एक कहानी के अनुसार, मंगोल शासित चीन के साथ व्यापार करके अमीर बने स्थानीय लोगों ने कई टावर बनाए थे। फ्रेडरीक डरार्गॉन टावर्स को युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करवाने के लिए प्रयास कर रही हैं।

कार और कंटेनर की आमने-सामने की भिड़ंत

हादसे में दंपती सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत

टोंक जिले के देवली नेशनल हाईवे 52 पर देवडाबास पेट्रोल पम्प के समीप कंटेनर और कार में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दम्पति सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मृतकों में तीन जने एक ही परिवार के हैं।

हादसे में तीन लोग घायल भी हुए हैं, तीनों गंभीर घायलों को जिले के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर देवली वृत्त अधिकारी सुरेश कुमार मेघवाल, घाड थाना अधिकारी राधाकिशन मीणा मौके पर पहुंचे। सभी मृतक और घायल खादू श्याम जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। कंटेनर और कार के बीच हुआ यह हादसा इतना जबरदस्त था कि, कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इसमें से फेलोंगों को निकालने के लिए पुलिस और आसपास के लोगों को बड़ी मशकत करनी पड़ी। पुलिस ने मृतकों व घायलों को 108 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। हादसे में कार सवार मनीष शर्मा पुत्र बंशीलाल शर्मा (45), पत्नी

- हादसा टोंक जिले के देवली नेशनल हाइवे का है, मृतकों में तीन जने एक ही परिवार के थे।
- कार में सवार सभी लोग खादूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे।

यीशु शर्मा (40), भाई अमित शर्मा(40) निवासी श्यामनगर देवली व कार चालक रवि पुत्र कैलाश रामसर थाना नसीराबाद हाल देवली की मौत हुई है। जबकि हादसे में दीपाली शर्मा पुत्री मनीष शर्मा(22), अंशुल जैन पुत्र पारस कुमार जैन (27) श्याम नगर देवली, निकेश उर्फ निक्की पुत्र रतनलाल (35) निवासी केकडी गंभीर घायल हो गए, उन्हें गंभीर हालत में जिला मुख्यालय के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां तीनों घायलों का इलाज जारी है।

रूस की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नम्बर पर रहे लोएस्ट बिडर में मैच कर जाती तो शेष 80 ट्रेनों का ठेका दूसरे नम्बर वाले (एल-2) को दे दिया जाएगा। अगर एल-2 कॉन्ट्रैक्ट लेने से इन्कार का देता है तो ऑफर तीसरे लोएस्ट बिडर को दे दिया जाएगा। इस केस में तीसरा लोएस्ट बिडर सिमन्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) है। यदि कोई भी बोलीदाता एल-1 द्वारा कोट की गई प्राइस से मैच करने में विफल रहता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही एल-1 को दे दिया जाएगा। अस्सी ट्रेन्स की दूसरी खेप का निर्माण चैन्नई स्थित आई.सी.एफ. संयंत्र से किए जाने की योजना है।

रेल एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर आशंकित हैं कि रूस की टी.एम.एच. वर्ष 2024-25 तक 1400 वन्डे भारत ट्रेन्स की डिलीवरी नहीं दे पाएगी। आई.सी.एफ. के पूर्व महाप्रबन्धक सुधांशु मणि ने बताया कि "यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण यूरोप के मल्टीनेशनल मैयूफेक्चरर्स द्वारा रूस को कम्पनी का सहयोग करने की उम्मीद नहीं है।

यदि टी.एम.एच. को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसे भारत की स्थानीय कम्पनियों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना होगा, हालांकि यह स्थिति भारतीय उद्योग जगत के लिए अच्छी होगी, लेकिन इसमें बड़ी चुनौतियां भी हैं।" सी.जे.एस.सी. ट्रांसमैशहोल्टिंग के बुलारारिया, बेलाहस, इजिप्ट, कजाकिस्तान और सर्बिया सहित अन्य देशों में ग्राहक हैं, लेकिन भारत में अब तक उसकी उपस्थिति नहीं रही है।

अडानी विवाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कामथ, नंदन नीलेकान्नी और सोमशेखर सुन्दरेसन भी होंगे।

दिल्ली के एडवोकेट एम.एल. शर्मा, एडवोकेट विशाल तिवारी, मध्यप्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर और आनामिका जायसवाल द्वारा दायर कुछ याचिकाओं पर जीएफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी. वाय चन्द्रचूड, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की एक बेंच ने अपना आदेश पारित किया।

आदेश में कहा गया कि एक्सपर्ट कमेटी शेयर बाजार को अस्थिर करने वाली स्थिति और आकस्मिक कारकों को लेकर एक समग्र आकलन प्रस्तुत करेगी। उसमें आगे कहा गया कि कमेटी निवेशकों में जागरूकता पैदा करने के उपाय सम्भाएगी और यह जांच भी करेगी कि अडानी ग्रुप का अन्य कम्पनियों के संदर्भ में शेयर बाजारों से सम्बन्धित कानूनों के कथित उल्लंघन में क्या कोई नियामक कमियाँ रही हैं।



विधानसभा संवाददाता-जयपुर, 2 मार्च। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा द्वारा बीकानेर में किसानों की जमीनें हड़पने का मुद्दा गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में गुंजा। लूणकरणसर के भाजपा विधायक सुमित गोदारा ने जब वाड्रा पर यह आरोप लगाए तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला ने राबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्होंने एक प्रतिशत भी गड़बड़ी नहीं की। बल्कि भाजपा के नेताओं ने भूमिहीन बनकर जमीनें लीं और घोटाला किया। कल्ला के इन आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ समेत तमाम भाजपा विधायक बिफर गए और पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग उठाई। बाद में सभापति राजेन्द्र पारीक ने बीच-बचाव कर पूरा मामला शांत कराया। सदन में राजस्व और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायक सुमित गोदारा ने बीकानेर जिले में प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया। गोदारा ने कहा कि फायरिंग रैंज की

रॉबर्ट वाड्रा द्वारा बीकानेर में किसानों की जमीनें हड़पने का मुद्दा विधानसभा में गुंजा

लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा के इस आरोप पर सदन में कांग्रेस ने खूब हंगामा किया

विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 2 मार्च। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा द्वारा बीकानेर में किसानों की जमीनें हड़पने का मुद्दा गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में गुंजा। लूणकरणसर के भाजपा विधायक सुमित गोदारा ने जब वाड्रा पर यह आरोप लगाए तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला ने राबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्होंने एक प्रतिशत भी गड़बड़ी नहीं की। बल्कि भाजपा के नेताओं ने भूमिहीन बनकर जमीनें लीं और घोटाला किया। कल्ला के इन आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ समेत तमाम भाजपा विधायक बिफर गए और पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग उठाई। बाद में सभापति राजेन्द्र पारीक ने बीच-बचाव कर पूरा मामला शांत कराया। सदन में राजस्व और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायक सुमित गोदारा ने बीकानेर जिले में प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया। गोदारा ने कहा कि फायरिंग रैंज की

जमीनें में घोटाला हुआ, जो किसान फायरिंग रैंज की जमीनें से माहुरेट हुए, उनकी जमीन को लोगों ने कोड़ियों के दाम में खरीदकर करोड़ों रुपये कमाए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली से आकर जमीनें ली, इस मामले में उनका नाम ईडी में आया है। सुमित गोदारा के आरोप पर शिक्षा

कांग्रेस ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अडानी में मुद्दे की सच्चाई को सामने नहीं ला पायेगा। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को जब संसद की बैठक पुनः शुरू होगी, उस समय कांग्रेस जे.पी.सी. की मांग फिर से उठायेगी। इस बात पर जो देते हुये कि उन्होंने यह बात पहले भी कही थी, जयधाम रमेश ने पत्रकारों से कहा, "अगर प्रधानमंत्री तथा सरकार को जवाबदेह ठहराना है तो जे.पी.सी."

- कांग्रेस ने कहा, अडानी विवाद की जांच जे.पी.सी. द्वारा ही की जानी चाहिए। जे.पी.सी. ही गौरव अडानी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबंधों की सच्चाई पता लगाएगी।

के अलावा अन्य कोई भी कमेटी नरेन्द्र मोदी को विधि सम्मत तथा निर्दोष ठहराने के अलावा और कुछ नहीं करेगी।" रमेश ने कहा, "अडानी के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी केवल सेबी के नियम और कानून के अल्लंघनों की जांच तक ही सीमित है। अगर जे.पी.सी. गठित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच के रिश्ते की सच्चाई कभी भी सामने नहीं आयेगी।"

- शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा, सदन का जो मैबर नहीं, उनका नाम लेना गलत है। जिस पर गोदारा ने कहा, अंबानी-अडानी भी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम तो आप खूब लेते हो।

- इस विवाद के बीच मंत्री कल्ला ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि, उन्होंने एक प्रतिशत भी गड़बड़ी नहीं की, बल्कि भाजपा के नेताओं ने भूमिहीन बन कर जमीनें लीं और घोटाला किया।

- इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा, "मंत्रीजी पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकार एक कमीशन बना दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका है। वाड्रा ने बीकानेर जिले में जमीन नहीं खरीदी है, यह आप साबित कर दो, गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा आप दे देना। यह मेरा चैलेंज है।"

जमीनें में घोटाला हुआ, जो किसान फायरिंग रैंज की जमीनें से माहुरेट हुए, उनकी जमीन को लोगों ने कोड़ियों के दाम में खरीदकर करोड़ों रुपये कमाए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली से आकर जमीनें ली, इस मामले में उनका नाम ईडी में आया है। सुमित गोदारा के आरोप पर शिक्षा

मंत्री बी.डी.कल्ला ने आपत्त जताते हुए कहा कि उस सदन का मैबर नहीं, उसका नाम लेना गलत है। जिस पर गोदारा ने कहा कि अंबानी-अडानी भी सदन के मैबर नहीं हैं, उन पर तो आप खूब आरोप लगाते हो।

मंत्री कल्ला ने कहा, जिन्होंने जमीनें ली है, उनमें उनमें अधिकांश

मतभेदों के साये में जी-20 की बैठक

नयी दिल्ली 2 मार्च (वार्ता)। जी-

20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर देशों के बीच एक साझा रुख पर आम सहमति नहीं बन पायी लेकिन उन्होंने इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों पर पड़ने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों एवं उनके समाधान की जरूरत पर सहमति व्यक्त की। इस स्थिति में बैठक में भारत ने

मंत्रि मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा, सदन का जो मैबर नहीं, उनका नाम लेना गलत है। जिस पर गोदारा ने कहा, अंबानी-अडानी भी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम तो आप खूब लेते हो।

इस विवाद के बीच मंत्री कल्ला ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि, उन्होंने एक प्रतिशत भी गड़बड़ी नहीं की, बल्कि भाजपा के नेताओं ने भूमिहीन बन कर जमीनें लीं और घोटाला किया।

इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा, "मंत्रीजी पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकार एक कमीशन बना दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका है। वाड्रा ने बीकानेर जिले में जमीन नहीं खरीदी है, यह आप साबित कर दो, गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा आप दे देना। यह मेरा चैलेंज है।"

जमीनें में घोटाला हुआ, जो किसान फायरिंग रैंज की जमीनें से माहुरेट हुए, उनकी जमीन को लोगों ने कोड़ियों के दाम में खरीदकर करोड़ों रुपये कमाए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली से आकर जमीनें ली, इस मामले में उनका नाम ईडी में आया है। सुमित गोदारा के आरोप पर शिक्षा

जाट वोट बैंक को रिझाने के लिए वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन

पर क्या सिर्फ बोर्ड का गठन करके जाट समाज को कांग्रेस साध पाएगी, इसमें संशय नजर आता है

जयपुर, 2 मार्च (का.प्र.)। राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार वर्गों के आधार पर बोर्ड, निगम, आयोग बनाने के बजाय सीधे जातीय बोर्डों का गठन कर रही है, ताकि उन जातियों को साधा जा सके जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं हैं। इसी को ध्यान रखते हुए कांग्रेस सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पावलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा सहित अन्य नेताओं की मांग पर राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

इधर कहा जा रहा है कि 5 मार्च को राजधानी जयपुर में होने वाले जाट महाकुंभ से पहले प्रदेश की गहलोल सरकार ने जाट समाज को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। गहलोल सरकार ने जाट समाज की प्रमुख मांगों में शामिल वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। राज्य सरकार ने किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव के उद्देश्य से इस कल्याण बोर्ड का गठन किया है। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में 9 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल हैं। इस बोर्ड में उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण पंचायत राज विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, देवस्थान विभाग, पर्यटन कला संस्कृति विभाग

- जाट महाकुंभ से पहले बोर्ड का गठन किया गया है, लेकिन समाज की प्रमुख मांग तो ओ.बी.सी. की जातियों में वर्गीकरण की है।

- वैसे भी जाट कांग्रेस के साथ तभी तक थे, जब मदेरणा, मिर्धा, ओला, नटवर सिंह जैसे दिग्गज पार्टी की अग्रिम पंक्ति में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में ऐसा मजबूत जाट नेता एक भी नहीं है।

और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सरकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

वैसे जानकारों का कहना यह है कि कांग्रेस विधायक एवं पंजाब के प्रभारी हरिश चौधरी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से ओबीसी वर्गीकरण को लेकर लगातार अपनी ही राज्य सरकार पर हमलावर हैं, वैसे ही आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल भी इसी मांग को सरकार से लगातार उठाते रहे हैं। सरकार ने वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन करके इन नेताओं को भी शांत करने का प्रयास किया है। हालांकि सिर्फ वीर तेजा कल्याण बोर्ड बना दिए जाने से जाट समाज या किसान वर्ग कांग्रेस के साथ आ जाएगा, इसमें बहुत लोगों को संशय नजर आता है।

कहा जा रहा है कि किसी समय पूरा जाट समाज कांग्रेस के हुआ करता था। इसका कारण यह था कि तब कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में

परसरा मदेरणा, रामनिवास मिर्धा, नाथूराम मिर्धा, नटवर सिंह, शीशराम ओला, नारायण सिंह, डॉ. हरिसिंह जैसे खंडी जाट नेता हुआ करते थे। इनके बाद कांग्रेस में लंबे समय से ना तो जाट नेतृत्व को उभारने का प्रयास हुआ और ना कोई ऐसा जाट नेता इस समय कांग्रेस में है, जो पूरे राजस्थान, या कहे कि राज्य के किसी एक संभाग में भी इतना दम रखता हो, जो समाज को पार्टी के साथ ले आए। भले ही वर्तमान में गोविन्द सिंह डोटसरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जाट समाज में उनकी पैठ इतनी मजबूत कभी नहीं रही, कि उन्हें जाट नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। उनसे ज्यादा मजबूत जाट नेता तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीकानेर संभाग के रामेश्वर डूडी को माना जाता है।

कांग्रेस की राज्य सरकार ने भले ही जाट समाज को साधने की कोशिश की हो, लेकिन गहलोल सरकार जब तक ओबीसी वर्गीकरण को लेकर

अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेगी, तब तक जाट समाज कांग्रेस सरकार के साथ जुटेगा, इसमें संशय है। आगामी 5 मार्च को जयपुर में हो रहे जाट महाकुंभ में भी प्रमुख मांग यही है कि ओबीसी की जातियों का वर्गीकरण किया जाए। यह एक ऐसी मांग है जिसे पूरी किया जाना वर्तमान हालातों में संभव नजर नहीं आता।

यह मांग की चर्चा पर होने से राजस्थान में ओबीसी की अन्य जातियां सरकार के खिलाफ विगुल बजा सकती हैं। वीर तेजा कल्याण बोर्ड के गठन से जाट समाज कितना खुश है और कांग्रेस पार्टी के साथ कितना सहज हो सकता है, इसका अंदाजा भी 5 मार्च को हो रहे जाट महाकुंभ के बाद ही लग जाएगा।

चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के कार्यकाल में ओबीसी की अन्य जातियों के कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि देश में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोगों की नियुक्ति का कोलीयिम जैसा सिस्टम होना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने इस मुद्दे पर गत 24 नवम्बर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बेंच के अन्य जजों में हैं जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध ब्रोस, अधिकांश रॉय और सी.टी. रविकुमार।

जाट वोट बैंक को रिझाने के लिए वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन

पर क्या सिर्फ बोर्ड का गठन करके जाट समाज को कांग्रेस साध पाएगी, इसमें संशय नजर आता है

जयपुर, 2 मार्च (का.प्र.)। राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार वर्गों के आधार पर बोर्ड, निगम, आयोग बनाने के बजाय सीधे जातीय बोर्डों का गठन कर रही है, ताकि उन जातियों को साधा जा सके जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं हैं। इसी को ध्यान रखते हुए कांग्रेस सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पावलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा सहित अन्य नेताओं की मांग पर राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

इधर कहा जा रहा है कि 5 मार्च को राजधानी जयपुर में होने वाले जाट महाकुंभ से पहले प्रदेश की गहलोल सरकार ने जाट समाज को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। गहलोल सरकार ने जाट समाज की प्रमुख मांगों में शामिल वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। राज्य सरकार ने किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव के उद्देश्य से इस कल्याण बोर्ड का गठन किया है। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में 9 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल हैं। इस बोर्ड में उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण पंचायत राज विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, देवस्थान विभाग, पर्यटन कला संस्कृति विभाग

और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सरकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

वैसे जानकारों का कहना यह है कि कांग्रेस विधायक एवं पंजाब के प्रभारी हरिश चौधरी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से ओबीसी वर्गीकरण को लेकर लगातार अपनी ही राज्य सरकार पर हमलावर हैं, वैसे ही आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल भी इसी मांग को सरकार से लगातार उठाते रहे हैं। सरकार ने वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन करके इन नेताओं को भी शांत करने का प्रयास किया है। हालांकि सिर्फ वीर तेजा कल्याण बोर्ड बना दिए जाने से जाट समाज या किसान वर्ग कांग्रेस के साथ आ जाएगा, इसमें बहुत लोगों को संशय नजर आता है।

कहा जा रहा है कि किसी समय पूरा जाट समाज कांग्रेस के हुआ करता था। इसका कारण यह था कि तब कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में

परसरा मदेरणा, रामनिवास मिर्धा, नाथूराम मिर्धा, नटवर सिंह, शीशराम ओला, नारायण सिंह, डॉ. हरिसिंह जैसे खंडी जाट नेता हुआ करते थे। इनके बाद कांग्रेस में लंबे समय से ना तो जाट नेतृत्व को उभारने का प्रयास हुआ और ना कोई ऐसा जाट नेता इस समय कांग्रेस में है, जो पूरे राजस्थान, या कहे कि राज्य के किसी एक संभाग में भी इतना दम रखता हो, जो समाज को पार्टी के साथ ले आए।

भले ही वर्तमान में गोविन्द सिंह डोटसरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जाट समाज में उनकी पैठ इतनी मजबूत कभी नहीं रही, कि उन्हें जाट नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। उनसे ज्यादा मजबूत जाट नेता तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीकानेर संभाग के रामेश्वर डूडी को माना जाता है।

कांग्रेस की राज्य सरकार ने भले ही जाट समाज को साधने की कोशिश की हो, लेकिन गहलोल सरकार जब तक ओबीसी वर्गीकरण को लेकर

अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेगी, तब तक जाट समाज कांग्रेस सरकार के साथ जुटेगा, इसमें संशय है। आगामी 5 मार्च को जयपुर में हो रहे जाट महाकुंभ में भी प्रमुख मांग यही है कि ओबीसी की जातियों का वर्गीकरण किया जाए। यह एक ऐसी मांग है जिसे पूरी किया जाना वर्तमान हालातों में संभव नजर नहीं आता।

यह मांग की चर्चा पर होने से राजस्थान में ओबीसी की अन्य जातियां सरकार के खिलाफ विगुल बजा सकती हैं। वीर तेजा कल्याण बोर्ड के गठन से जाट समाज कितना खुश है और कांग्रेस पार्टी के साथ कितना सहज हो सकता है, इसका अंदाजा भी 5 मार्च को हो रहे जाट महाकुंभ के बाद ही लग जाएगा।

चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के कार्यकाल में ओबीसी की अन्य जातियों के कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि देश में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोगों की नियुक्ति का कोलीयिम जैसा सिस्टम होना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने इस मुद्दे पर गत 24 नवम्बर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बेंच के अन्य जजों में हैं जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध ब्रोस, अधिकांश रॉय और सी.टी. रविकुमार।